न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –201/2018

अनवान : –

1. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री पालूराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. पालूराम पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा ।
2. सुनिल पुत्र चतरसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. देवेन्द्र पुत्र चतरसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
4. राजबाला पत्नी चतरसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :–श्री प्रभूराम गोदारा **वादी**
श्री धर्मपाल बेरवाल वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 2/3/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डोभी बारानी के खाता सं 65/59 के मु0 न0 149 के किला न0 16, 24 मु0 न0 152 के किला न0 4 मु0 न0 201 के किला न0 6, 14 ता 17 ,24, 25 मु0 न0 202 के किला न0 10,11,20,21 मु0 न0 205 के किला न0 1 मु0 न0 206 के किला न0 4 ता 8 कुल भूमि 5.060 है0 जिसमें 5.035 है0 कृषी भूमि गैर मुमकिन रास्ता 0.025 है0 जो प्रतिवादी सं 1 पालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादी के दादा हजारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। हजारी के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं 1 के साथ साथ प्रतिवादी सं 2 ता 4 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 पालूराम के नाम विरासतन दर्ज हो गई। अतः वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 4 के हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादी तथा प्रतिवादी अपने हकों की घोषणा कराने के कानूनी अधिकार है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी पृथ्वीसिंह पुत्र पालूराम जाति जाट निवासी डोभी के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी खाता न0 65/59 प्रदर्श 1 जमाबंदी सवत् 2046–49 खाता न0 35/36 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डोभी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा डोभी बारानी के खाता सं 65/59 के मु0 न0 149 के किला न0 16, 24 मु0 न0 152 के किला न0 4 मु0 न0 201 के किला न0 6, 14 ता 17 ,24, 25 मु0 न0 202 के किला न0 10,11,20,21 मु0 न0 205 के किला न0 1 मु0 न0 206 के किला न0 4 ता 8 कुल भूमि 5.060 है0 जिसमें 5.035 है0 कृषी भूमि गैर मुमकिन रास्ता 0.025 है0 जो प्रतिवादी सं 1 पालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एंव वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में पालूराम के वारिसान में पत्नी सन्दोखी देवी, दो पुत्र चतरसिंह(फौत) व पृथ्वीसिंह जिसमें चतरसिंह की पत्नी राजबाला व उसके दो वारिस सुनिल व देवेन्द्र मौजुद है। इनके अलावा और कोई वारिस नहीं होना अकिंत है। है। अतः वाद भूमि में वादी ,प्रतिवादी सं 1 पालूराम तथा प्रतिवादी सं 2 ता 4 संयुक्त रूप से 1/3 बहिस्सा बराबर के हकदार है। परन्तु प्रतिवादी सं 1 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 ता 4 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डोभी बारानी के खाता सं 65/59 के मु0 न0 149 के किला न0 16, 24 मु0 न0 152 के किला न0 4 मु0 न0 201 के किला न0 6, 14 ता 17 ,24, 25 मु0 न0 202 के किला न0 10,11,20,21 मु0 न0 205 के किला न0 1 मु0 न0 206 के किला न0 4 ता 8 कुल भूमि 5.060 है0 जिसमें 5.035 है0 कृषी भूमि तथा गैर मुमकिन रास्ता 0.025 है0 जो प्रतिवादी सं 1 पालूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। में से प्रतिवादी सं0 1 पालूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी पृथ्वीसिंह 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं 2 ता 4 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 2 ता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

4 के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ